



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16102025-266966
CG-DL-E-16102025-266966

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4569]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 16, 2025/आश्विन 24, 1947

No. 4569]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 16, 2025/ASVINA 24, 1947

गृह मंत्रालय

(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर, 2025

का.आ. 4698(अ).— केंद्रीय सरकार, जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37) की धारा 17क के साथ पठित जनगणना नियम, 1990 के नियम 6घ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत की जनगणना, 2027 के पहले चरण के पूर्व-परीक्षण के संचालन के लिए उक्त अधिनियम के उपबंधों का विस्तार करती है। भारत की जनगणना, 2027 के पहले चरण के पूर्व परीक्षण अर्थात् चयनित नमूना क्षेत्रों में मकानसूचीकरण और मकानों की गणना सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में 10 नवंबर, 2025 से 30 नवंबर, 2025 संचालित किया जाएगा। तारीख 1 नवंबर, 2025 से तारीख 7 नवंबर, 2025 तक स्व-गणना के लिए भी विकल्प होगा।

[फा. सं. 9/8/2025-सीडी (सीइएन)]

मृत्युंजय कुमार नारायण, भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(Office of Registrar General, India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th October, 2025

S.O. 4698(E).— In exercise of the powers conferred by section 17A of the Census Act, 1948 (37 of 1948) read with rule 6D of the Census Rules, 1990, the Central Government hereby extends the provisions of the said Act for conduct of pre-test of first phase of Census of India, 2027. The pre-test of first phase of Census of India, 2027 that is Houselisting and Housing Census in selected sample areas shall be conducted from 10th November, 2025 to 30th November, 2025 in all States and Union territories. There shall also be an option for self-enumeration from 1st November, 2025 to 7th November, 2025.

[F. No. 9/8/2025-CD(Cen)]

MRITUNJAY KUMAR NARAYAN, Registrar General and Census Commissioner, India